न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

अपील संख्या 03/2023

उनवान श्रीमती कानी देवी बनाम ग्राम पंचायत भीखनसर प.स. मण्डावा
अपील विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत भीखनसर
पारित नामान्तरकरण संख्या 655 दिनांक 06.12.2022

ऐडवोकेट अपीलान्ट :– श्री राजेश पुनियां अपीलान्ट

आदेश

दिनांक 17.04.2025

अपीलान्ट्स द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया गया कि जमीन हाल ख.न. 507/674 रकबा 1.75 हैक्टर, ख.न. 639 रकबा 0.36 हेक्टर ख.न. 640 रकबा 0.36 हैक्टर सरहद वाके ग्राम सेसु तहत तहसील बिसाऊ में स्थित है।उक्त जमीन में देवकरण पुत्र मूलाराम 1/8 हक हिस्से का सह खातेदार था। उक्त देवकरण का अविवाहित रहते दिनाक 15.12.2021 को देहान्त हो चुका है। मूलाराम के कुल 7 पुत्र पैदा हुए। अपीलान्ट मुलाराम की स्त्री है।उक्त देवकरण के देहान्त होने के बाद रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 व 3 क्रमश देवकरण की स्त्री व पुत्री फर्जी दस्तावेज के आधार पर बनकर उक्त जमीन में से स्व. देवकरण की जगह अपने नाम ग्राम पंचायत व अन्य से मिलकर नामान्तरकरण संख्या 655 दिनाक 06.12.2022 को स्वीकृत करवा लिया जिस आलौच्य निर्णय के विरूद्ध मौजुदा अपील निम्न आधारों पर पेश है:–यह कि अदालत मातहत ग्राम पंचायत भीखनसर द्वारा नामान्तरकरण संख्या655 ग्राम भीखनसर बाबत पारित निर्णय दिनाक 06.12.2022 खिलाफ कानून न्याय एव पत्रावली के होने के कारण खारीज होने योग्य है। जमीन हाल ख.न. 278 रकबा 4.36 हैक्टर सरहद राजस्व ग्राम गोदू का बास तहत तहसील मण्डावा में स्थित है। उक्त जमीन सांवलराम के वारिसान की सह खातेदारी की जमीन है। ग्राम गोंदु का बास की जमीन में सांवलराम का पुत्र रघुवीर 1/4 हक हिस्से का कोटीनेन्ट था। ग्राम गोदु का बास के सांवलराम के वारिसान एंव ग्राम ससु के मुलाराम के वारिसान आपस में जानकार है तथा आपस में आना जाना है।ग्राम गोदू का बास के रूघवीर के एक पुत्र दिलबाग तथा एक पुत्री प्रियंका तथा स्त्री सावित्री है। ग्राम गोदु का बास के रूघवीर के देहान्त होने पर उसके पुत्र दिलबाग एंव स्त्री सावित्री के हक में ग्राम गोदु का बास की जमीन के बाबत नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 व 3 ग्राम सेसु के देवकरण पुत्र मूलाराम की वारिस नहीं है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 व 3 ग्राम गोदु का बास के रूघवीर पुव सांवलराम के वारिस है। रस्पाडेन्ट नम्बर 2 सावित्री आज भी सावित्री स्त्री रूघवीर ग्राम गोदु का बास के मुताबिक पेशन प्राप्त कर रही हैं।यह कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 व 3 ने ग्राम पंचायत भीखनसर के सरपंच व ग्राम सेवक / ग्राम विकास अधिकारी से षडयन्त्र करके फर्जी कागजात बनाकर देवकरण के मृत्यु प्रमाण पत्र में सावित्री ने अपने आपको गलत रूप से स्व. देवकरण की स्त्री बताकर देवकरण का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करवाया है।यह कि रेस्पीडेन्ट नम्बरीत्रीनीर ने तहसीलदार मण्डावा के यहां देवकरणपुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी गोयु का बारा के वारिसान की जांच के लिये प्रार्थनापत्र पेश किया जिस पर अधिम कार्यवाही हेतु तहसीलदार बिसाऊ को मूल रिपोर्ट भेज दी तथा बिसाऊ तहसीलदार ने घटवार हल्का भीखनसर को पत्र इस आशय का भेजा की देवकरण पुत्र मूलाराम के वारिसान की जांच पटवारी हल्का कुहाडु से करवाई जावे। जिस पर पटवारी हल्का कुहाडु ने फर्द मौका रिपोर्ट में देवकरण के वारीसान की जांच ग्राम गोदु का बास के मुख्य चौक में जांच करना अंकित किया तथा उक्त मौका जांच रिपोर्ट में देवकरण पुत्र मूलाराम के एक स्त्री सावित्री तथा एक पुत्री प्रियंका होना दर्शित किया। जांच रिपोर्ट में उपस्थित व्यक्ति मुकेशकुमार पुत्र सुलतानसिहं व भीमसिहं पुत्र सुरजाराम, विनोद व सुलतानसिहं के हस्ताक्षर करवाये है। जांच रिपोर्ट स्पष्ट नहीं है। देवकरण ग्राम सेसु का निवासी है तथा जांच रिपोर्ट में देवकरण को ग्राम गोदु का बास का बताया है तथा मौका जांच भी ग्राम गोदु का बास में की गई है तथा जमीन ग्राम सेसु पटवार हल्का भीखनसर की

है तथा विरासतन नामान्तरकरण ग्राम सेसु ग्राम पंचायत भीखनसर द्वारा स्वीकृत किया गया है। देवकरण पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी सेसु के वारिसान की जांच ग्राम सेसु में नहीं की गई। ग्राम पंचायत भीखनसर ने फर्जी जांच रिपोर्ट पर गलत रूप से भरोसा कर गलत रूप से नामान्तरकरण स्वीकृत करवाया है। इस प्रकार नामान्तरकरण संख्या 655 ग्राम सेसु खारीज होने योग्य है।विवादित जमीन में रेस्पोडेन्ट नम्बर 23 का कोई लेना देना नहीं है।देवकरण पुत्र मूलाराम का देहान्त अविवाहित रहते हुआ है।यह कि चूंकि देवकरण का अविवाहित रहते देहान्त हुआ है। जमीन जैर बहस में देवकरण का 1/8 हक हिस्सा है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के मुताबिक अविवाहित पुत्र की जायज वारिस उसकी जीवित माता होती है। इस कारण अपीलान्ट कानी देवी अपने अविवाहित मृत पुत्र देवकरण की जायज वारिस है। कानुन से विवादित जमीन के बाबत देवकरण की मृत्यु पर उसके 1/8 हक हिस्से का विरासतन नामान्तरकरण ग्राम पंचायत को अपीलान्ट कानीदेवी के हक में स्वीकृत करना चाहिये था।यह कि नामान्तरकरण संख्या 655 ग्राम भीखनसर में अपीलान्ट पक्षकार नहीं है। लेकिन नामान्तरकरण संख्या 655 दिनाकं 06.12.2022 से अपीलान्ट प्रभावित है क्योकि मृतक देवकरण की कानूनन वारिस अपीलान्ट माता होने के नाते है। इस कारण आलौच्य आदेश दिनाकं 06.12.2022 बावत नामान्तरकरण संख्या 655 ग्राम भीखनसर के विरूद्व अपीलान्ट को माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की इजाजत दिया जाना न्यायोचित है। इजाजत हेतु धारा 96 सी पी सी का प्रार्थना पत्र अपील के साथ अलग से प्रस्तुत है।यह कि नामान्तरकरण संख्या 655 ग्राम सेसु स्वीकार करने से पूर्व अपीलान्ट को ग्राम पंचायत भीखनसर ने कोई नोटिस नहीं दिया। जबकि नोटिस देकर सुना जाना आवश्यक था। इस कारण आदेश दिनाकं 06.12. 2022 का पहले अपीलान्ट को पता नहीं था। दिनाक 26.04.2023 कोनामान्तरकरण संख्या 655 का पता चलने पर अपीलान्ट ने नकल प्राप्त की गई। अतः अपील पेशकर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार जाकर अदालत मातहत ग्राम पंचायत भीखनसर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 655 म सेसु बाबत पारित आदेश दिनाकं 06.12. 2022 खारीज कर नामान्तरकरण जावे च्या 655 ग्राम सेसु खारीज किया जावे

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट न0 01 लगायत 14 जरिये नोटिस तलब किया गया । रेस्पोडन्ट न0 01, 03, 05, 08, 10 लगायत 12 बावजूद सम्यक तामिल के अनुपस्थित रहे। जिनके विरूद्व एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गयी ।रेस्पोडेन्टस् संख्या 02,04,06,07 व 09 अन्तिम बहस के समय अनुपस्थित रहे।

विद्वान अपीलान्ट अभिभाषक द्वारा दौरान बहस अपील में अंकित तथ्यों को दौराते हुए निवेदन किया कि जमीन हाल ख.न. 278 रकबा 4.36 हैक्टर सरहद राजस्व ग्राम गोदू का बास तहत तहसील मण्डावा में स्थित है। उक्त जमीन सांवलराम के वारिसान की सह खातेदारी की जमीन है। ग्राम गोंदु का बास की जमीन में सांवलराम का पुत्र रघुवीर 1/4 हक हिस्से का कोटीनेन्ट था। ग्राम गोदु का बास के सांवलराम के वारिसान एंव ग्राम सेसु के मुलाराम के वारिसान आपस में जानकार है तथा आपस में आना जाना है।ग्राम गोदू का बास के रूघवीर के एक पुत्र दिलबाग तथा एक पुत्री प्रियंका तथा स्त्री सावित्री है। ग्राम गोदु का बास के रूघवीर के देहान्त होने पर उसके पुत्र दिलबाग एंव स्त्री सावित्री के हक में ग्राम गोदु का बास की जमीन के बाबत नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 व 3 ग्राम सेसु के देवकरण पुत्र मूलाराम की वारिस नहीं है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 व 3 ग्राम गोदु का बास के रूघवीर पुव सांवलराम के वारिस है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 सावित्री आज भी सावित्री स्त्री रूघवीर ग्राम गोदु का बास के मुताविक पेशन प्राप्त कर रही हैं।यह कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 व 3 ने ग्राम पंचायत भीखनसर के सरपंच व ग्राम सेवक / ग्राम विकास अधिकारी से षड्यन्त्र करके फर्जी कागजात बनाकर देवकरण के मृत्यु प्रमाण पत्र में सावित्री ने अपने आपको गलत रूप से स्व. देवकरण की स्त्री बताकर देवकरण का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करवाया है।यह कि रेस्पीडेन्ट नम्बरीत्रीनीर ने तहसीलदार मण्डावा के यहां देवकरणपुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी गोयु का बारा के वारिसान की जांच के लिये प्रार्थनापत्र पेश किया जिस पर अधिम कार्यवाही हेतु तहसीलदार बिसाऊ को मूल रिपोर्ट भेज दी तथा बिसाऊ तहसीलदार ने घटवार हल्का भीखनसर को पत्र इस आशय का भेजा की देवकरण पुत्र मूलाराम के वारिसान की जांच पटवारी हल्का कुहाडु से करवाई जावे। जिस पर पटवारी हल्का कुहाडु ने फर्द मौका रिपोर्ट में देवकरण के वारीसान की जांच ग्राम गोदु का बास के मुख्य चौक में जांच करना अंकित किया तथा उक्त मौका जांच रिपोर्ट मे

देवकरण पुत्र मूलाराम के एक स्त्री सावित्री तथा एक पुत्री प्रियंका होना दर्शित किया। जांच रिपोर्ट में उपस्थित व्यक्ति मुकेशकुमार पुत्र सुलतानसिहं व भीमसिहं पुत्र सुरजाराम, विनोद व सुलतानसिहं के हस्ताक्षर करवाये है। जांच रिपोर्ट स्पष्ट नहीं है। देवकरण ग्राम सेसु का निवासी है तथा जांच रिपोर्ट में देवकरण को ग्राम गोदु का बास का बताया है तथा मौका जांच भी ग्राम गोदु का बास में की गई है तथा जमीन ग्राम सेसु पटवार हल्का भीखनसर की है तथा विरासतन नामान्तरकरण ग्राम सेसु ग्राम पंचायत भीखनसर द्वारा स्वीकृत किया गया है। देवकरण पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी सेसु के वारिसान की जांच ग्राम सेसु में नहीं की गई। ग्राम पंचायत भीखनसर ने फर्जी जांच रिपोर्ट पर गलत रूप से भरोसा कर गलत रूप से नामान्तरकरण स्वीकृत करवाया है। इस प्रकार नामान्तरकरण संख्या 655 ग्राम सेसु खारीज होने योग्य है।विवादित जमीन में रेस्पोडेन्ट नम्बर 23 का कोई लेना देना नहीं है।देवकरण पुत्र मूलाराम का देहान्त अविवाहित रहते हुआ है।यह कि चूंकि देवकरण का अविवाहित रहते देहान्त हुआ है। जनीन जैर बहस में देवकरण का 1/8 हक हिस्सा है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के मुताबिक अविवाहित पुत्र की जायज वारिस उसकी जीवित माता होती है। इस कारण अपीलान्ट कानी देवी अपने अविवाहित मृत पुत्र देवकरण की जायज वारिस है। कानुन से विवादित जमीन के बाबत देवकरण की मृत्यु पर उसके 1/8 हक हिस्से का विरासतन नामान्तरकरण ग्राम पंचायत को अपीलान्ट कानीदेवी के हक में स्वीकृत करना चाहिये था।यह कि नामान्तरकरण संख्या 655 ग्राम भीखनसर में अपीलान्ट पक्षकार नहीं है। लेकिन नामान्तरकरण संख्या 655 दिनाकं 06.12.2022 से अपीलान्ट प्रभावित है क्योकि मृतक देवकरण की कानूनन वारिस अपीलान्ट माता होने के नाते है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आदेश दिनांक 06.12.2022 को निरस्त फरमाया जाकर मृतक देवकरण के विधिक वारिसान के नाम नामान्तरण दर्ज किये जाने के आदेश फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रस्तुत सलंग्न दस्तावेजो का अध्ययन किया गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रस्तुत सलंग्न दस्तावेजो का अध्ययन किया गया। अपीलान्ट पक्ष के द्वारा विधिक वारीसान के संबंध आक्षेपित बिन्दूओं संबंध में उचित जांच उपरान्त विधि सम्मत निर्णय के परिपेक्ष्य में प्राकृतिक न्याय के सिद्वात को ध्यान रखते हुए न्यायालय मत से अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत सेसु के नामान्तकरण संख्या 655 ग्राम सेसु दिनांक 06.12.2022 में पारित आदेश को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार बिसाऊ को प्रकरण प्रतिप्रेपित (Remand) कर निर्देशित किया जाता है कि विरासत नामान्तरण के सबंध में अपनायी जाने वाली विधिक प्रकिया के अधीन उक्त प्रकरण में मृतक देवकरण पुत्र मूलाराम के विधिक वारिसन की जांच करते हुए उभय पक्षकारान को सूनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय दिनांक 17.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनेश कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा